न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नीम का थाना

उनवान :- सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार उदयपुरवाटी

किस्म :- प्रार्थना-पत्र (स्थगन) ; मु०नं० :- 02/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2/2024	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी द्वारा भूमि ख०नं० 68 तन ग्राम मणकसास तहसील उदयपुरवाटी में 22.5 वर्ग मीटर भूमि पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। प्रार्थना पत्र में निस्तारण के समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या - प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते हैं अथवा नहीं। प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन निम्न प्रकार है। 1. प्रथम दृष्टया मामला :- पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार नहीं है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए कब्जा होना आवश्यक है। परन्तु प्रार्थी द्वारा जो कब्जा कर रखा है वह राजकीय भूमि है। रिकार्डेड खातेदार व राजकीय भूमि के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। 2. सुविधा का सन्तुलन :- [illegible] बिन्दु का प्रश्न है। प्रार्थी [illegible] स्वीकार करने कि दशा में [illegible] असुविधा अप्रार्थी को होगी क्योंकि विवादित भूमि प्रार्थी कि खातेदारी कि ना होकर राजकीय भूमि है। इसलिए इस स्टेज पर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। ...2... (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर	

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने कि दशा मे प्रार्थी को कोई विधिक हानी ना होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नही है। क्योकि भूमि राजकीय है जो प्रार्थी स्वयं स्वीकार करते आ रहे है। एवं पत्रावली रिकार्ड से भी स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष में में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन खारीज किया जाता है। नि.कु. पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर नीमकाथाना	

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.31 09:57:57 IST
Reason: SelfAttested